# साईबर ठगों ने लाखों की नकदी हड़पी

**उदयपुर।** निवेश के नाम पर पीड़ित से लाखों की नकदी हडपने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित भूपेन्द्रसिंह राठौड पुत्र विक्रमसिंह राठौड़ निवासी सरदारपुरा मीरा होटल रोड़ ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि 30 मई को मेरे वाट्सएप पर अज्ञात नंबर से मेसेज आया। जिस पर क्लिक करने पर उसने निवेश करने पर अच्छा लाभ कमाने की बात कही। दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर उनके टेलीठााम ग्रुप में जुड़ गया। कुछ समय तक उनके बताए अनुसार निवेश किया बदले में लाभ मिलना शुरू हो गया। गत दिनों निवेश करने के बाद आरोपियों ने अलग अलग कार्यवाही करने के बहाने 13 जून तक 21 लाख 63 हजार 845 रूपये वसूल लिए।

# जिला कलक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन की ओर से गंगू कुंड पर श्रमदान किया

**उदयपुर।** वंदे भारत जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को गंगू कुंड पर श्रमदान का आयोजन किया गया।

जिला कलक्टर नमित मेहता ने कार्यक्रम की कमान स्वयं सम्भाली और अधीनस्थ अधिकारियों के लिए प्रेरणा बने। देखते ही देखते जिसे जहां कचरा और गंदगी दिखाई दी वह उसे साफ करने में जुट गया। कुंड के आस-पास स्थित छतरियों के बीच अटी-पड़ी गंदगी, दीवारों में उग आए पीपल के पौधे व झाड़ियां, कंकड़-पत्थर, कीचड़, गाद निकालने का कार्य किया जाने लगा। उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं अन्य लोग जिला कलक्टर के कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान में जुट गए। करीब डेढ़ घंटे चले श्रमदान के दौरान सभी के माथे पर पसीनें की बूंदें टपक रही थीं लेकिन चेहरे पर उत्साह व अभियान में सहभागिता की संतुष्टि झलक रही थी। श्रमदान से परिसर से निकले कचरे को इकट्ठा कर निगम के कंटेनर्स में भरकर वहां से ले जाया गया। अभियान के तहत गंगू कुंड परिसर में जिला कलक्टर ने आम का पौधा भी रोपा।

गंगू कुंड परिसर स्थित मंदिरों के पुजारियों ने जिला कलक्टर को अवगत कराया कि पूजा-पाठ एवं अन्य अनुष्ठानों के लिए आने वाले लोग परिसर में कचरा छोड़ जाते हैं। टोकने पर कुछ लोग कचरे का निस्तारण कर देते हैं लेकिन अधिकांश अनसुना कर देते हैं। इस पर जिला कलक्टर ने पुजारियों से कहा कि यहां नियमित आने वाले श्रद्धालुओं की एक टीम तैयार करें जो स्वेच्छा से परिसर को साफ रखने का बीड़ा उठाए। यहां आने वालों को अनुष्ठान पश्चात सफाई के लिए प्रेरित करने कार्य भी यह टीम करें। पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, गजपाल सिंह चौहान भी जिला प्रशासन के इस श्रमदान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उदयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, दोनों एडीएम दीपेंद्र सिंह व वार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने साफ-सफाई का कार्य किया। एसडीआरफ, सिविल डिफेंस (जिला क्विक रेस्पोंस टीम), हिंदुस्तान स्काउट-गाइड, भारत स्काउट-गाइड के स्वयंसेवक, खिलाड़ी, विद्यार्थी एवं बड़ी संख्या में आमजन जिला प्रशासन के इस श्रमदान कार्यक्रम के सहभागी बने।

# तीन चरणों में आयोजित शहीद रजब अली टुर्नामेंट का समापन

**उदयपुर।** दाऊदी बोहरा जमाअत एवं बोहरा यूथ संस्थान इकाई स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में तीन चरणों में आयोजित शहीद रजब अली टूर्नामेंट का तीसरा चरण बोहरवाड़ी स्थित जमातखाने में सम्पन्न हुआ। दो दिनों तक चले इस इनडोर गेम्स में बैडमिंटन, केरम, शतरंज, टेबल टेनिस, 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चो के लिए स्विमिंग, एथलीट प्रतियोगिताओं में सौ व 50 मीटर, रिले रेस, लेमन स्पून रेस हुई।

प्रतियोगिताओं के नतीजों में टेबल टेनिस में साहिल असद फ्लेक्स वाला विनर जबकि फरहीन अत्तारी रनर अप रही। समापन पर दाऊदी बोहरा जमात के अध्यक्ष इकबाल हुसैन रस्सावाला और सचिव फिरोज टीन वाला ने संयोजन टीम को धन्यवाद दिया। बैडमिंटन में 16 वर्ष से कम आयु वर्ग में फरहान नाथ विनर जबकि हसनैन बोहरा रनर अप रहे। 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अफरोज मेहमूदा विनर जबकि अली अब्बास अत्तारी रनर अप रहे, महिला वर्ग में तसनीम लोहावाला विनर जबकि शाहीन नाथ रनर अप रही।


क्षेत्रीय कार्यालय
**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल**
एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269
No. RPCB/RO U/UDR/422 Date 13.06.2025

**आम सूचना**

श्रीमती निर्मला कुंवर शक्तावत, श्रीमती सीमा कुंवर सोलंकी एण्ड श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड, एम.एल.न. 12/2024 (क्षेत्रफल 1.8054 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज, फैल्डसपार एवं मैसेनरी स्टोन", ग्राम-माल की टूस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर की जनसुनवाई दिनांक 12.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर अधोहस्ताक्षरकर्ता उपस्थित थे, मगर इकाई द्वारा पर्याप्त मुनादी नही करवाई गई प्रतीत हुई। अतः जनसुनवाई का आयोजन नही किया जा सका। परियोजना प्रस्तावक्र द्वारा पुनः आवेदन किए जाने के पश्चात् जनसुनवाई करवाने की अग्रिम कार्यवाही अमल में ली जायेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी


प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/132

चूंकि प्रार्थी श्री NATHU ,गागलियाफला आमलिया उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष वचली कातर, गागलियाफला, आमलिया उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 20.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/69

चूंकि प्रार्थी श्री नाती देवी, गरनवास झडोल फलासिया उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष गरनवास , गरनवास, झाडोल फलासिया उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 21.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

# उप मुख्यमंत्री बैरवा आज लेंगे समीक्षा बैठक

**उदयपुर।** उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रविवार को उदयपुर के अल्पप्रवास पर रहेंगे। इस दौराने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जिले में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री बैरवा रविवार प्रातः साढे सात बजे विमान से डबोक हवाईअड्डे पहुंचेंगे। तत्पश्चात 11 बजे जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में हुए कार्यों एवं अब तक की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोपहर पश्चात उनका सिरोही प्रस्थान करने का कार्यक्रम है।

# गीतांजली में फादर्स डे आयोजित

**उदयपुर।** गीतांजलि में फादर्स डे का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्थान के अध्यक्ष भंवर सेठ सहित लगभग 200 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत उपरणा पहनाकर मार्केटिंग हेड कल्पेशचन्द रजबार ने किया।

महाराणा प्रताप वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष भंवर सेठ जी ने फादर्स डे के अवसर पर उपस्थितजनों को भावभीना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने पिता की जीवन में भूमिका, अनुशासन और त्याग पर मार्मिक बातें साझा कीं।

फादर्स डे पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कविता पाठ प्रस्तुत ने सभी को भावविभोर कर दिया। डॉ संजय गांधी, डॉ. आशीष जाखेटिया कैंसर सर्जन, डॉ. पंकज त्रिवेदी यूरोलॉजिस्ट, डॉ. दिलीप जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ, गीतांजली डेंटल से डॉ. सौरभ ने कार्यक्रम की एक विशेष कडी रही विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व जागरूकता प्रदान की व सवाल जवाब भी किये। हर्निया लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ मोहित कुमार बडगुजर द्वारा गीतांजली हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किये जा रहे सफल ऑपरेशन को चित्रों के माध्यम से दिखाया व गीतांजली हॉस्पिटल में मौजूद अत्याधुनिक तकनीकों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। सभी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, नियमित परीक्षण करवाने और वृद्धावस्था में सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। कल्पेश चन्द रजबार द्वारा श्री भंवर सेठ जी को फादर्स डे मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा गीत व कविता की मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी गईं। साथ ही, कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपने पिता से जुडे संस्मरण एवं पिता होने के अनुभव साझा कर माहौल को भावनात्मक और प्रेरणादायक बना दिया।


कार्यालय ग्राम पंचायत धोलिया, पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलुम्बर (राज.)

क्रमांक:-14 दिनांक-12.6.2025

**-:ई निविदा सूचना -01 एवं 02/2025-26:-**

ग्राम पंचायत धोलिया में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 20.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN N0 1. ZUD2526GSRC00848
2. ZUD2526GSRC00850

| प्रशासक | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत धोलिया | ग्राम पंचायत धोलिया |
| पं.स. लसाड़िया | पं.स. लसाड़िया |
| जिला-सलुम्बर (राज.) | जिला-सलुम्बर (राज.) |


प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/66

चूंकि प्रार्थी श्री छगन, विलेज-रनपुर, पोस्ट-ओग्रा , तहसील -झाडोल उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष रानपुर विलेज-रनपुर पोस्ट-ओग्रा, तहसील-झाडोल उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक27.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 01.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**


**आम सूचना**

मैं मेरे व्यवहारी ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LTD. शाखा कार्यालय उदयपुर से प्राप्त हिदायत व निर्देशानुसार सभी को सूचित करता हूं कि श्री मनोज सिंघवी पिता स्वर्गीय गणेशलाल जी सिंघवी ने अपने स्वामित्व की सम्पत्ति प्लोट नं. 11 खसरा नं. 845, 844/2517 रेवेन्यु विलेख आयड़ उदयपुर एरिया 1815 स्कायर फीट को बंधक रखकर ऋण प्राप्त करना चाहते है। उक्त सम्पत्ति मनोज की को जरिये हक त्याग दिनांक 17.12.2021 के अपनी बहनों से प्राप्त हुई है। उक्त सम्पत्ति मनोज जी के पिताजी स्वर्गीय गणेशलाल जी सिंघवी ने दिनांक 10.3.1997 को जरिये विक्रय से क्रय की थी। गणेशलाल जी की मृत्यु दिनांक 29.09.2021 को हो चुकी है तथा गणेशलाल जी की पत्नी व मनोज जी माताजी श्रीमती शान्ता देवी जी की मृत्यु 1.2.2015 को हो चुकी है।

अतः उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर ऋण देने हेतु किसी भी व्यक्ति, वित्तिय संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर मुझसे मेरे कार्यालय में सम्पर्क करें अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

दिनांक : 14.6.2025

**ADVOCATE - KAMLESH JAIN**
**88 New Fatehpura Udaipur**
**Mob, 90010 75259**


# 'वन्दे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान के तहत सीएसआर कार्यशाला सम्पन्न

**उदयपुर।** 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के अंतर्गत शनिवार की मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (यूसीसीआई) सभागार में जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा कि उदयपुर की पहचान इसकी झीलों और जल-संस्कृति से है। यह विडंबना है कि हम अनावश्यक वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जीवन के सबसे आवश्यक तत्व पानी को नजरअंदाज करते हैं। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा और हर व्यक्ति को इसके संरक्षण की दिशा में जागरूक करना होगा। उन्होनें उद्यमियों का आ ान किया कि वे सीएसआर के माध्यम से जुड़कर वंदे गंगा अभियान में अपनी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, झीलों के संरक्षण एवं पुराने जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अपना योगदान दें। उन्होने उपस्थित उद्यमियों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई। यूसीसीआई के अध्यक्ष मनीष गलुण्डिया ने प्रशासन को यह विश्वास दिलाया कि सभी उद्यमी वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान में राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे।


कार्यालय ग्राम पंचायत देवलीया, पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलुम्बर (राज.)

क्रमांक:-15 दिनांक-12.6.2025

**-:ई निविदा सूचना -01 एवं 02/2025-26:-**

ग्राम पंचायत देवलीया में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 20.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN N0 1. ZUD2526GSRC00852
2. ZUD2526GSRC00854

| प्रशासक | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत देवलीया | ग्राम पंचायत देवलीया |
| पं.स. लसाड़िया | पं.स. लसाड़िया |
| जिला-सलुम्बर (राज.) | जिला-सलुम्बर (राज.) |


प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/118

चूंकि प्रार्थी श्री बसंती लाल , चतरपुरा झाडोल उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष चतरपुरा, चतरपुरा झाडोल उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 21.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/68

चूंकि प्रार्थी श्री धिरा, विलेज- काडा,पोस्ट-ओग्रा, तह.झाडोल उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष काडा, विलेज-काडा, पोस्ट -ओग्रा तहसील झाडोल उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 19.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

# रायजी की बावड़ी और नाथेला तालाब का निखारा स्वरूप

**उदयपुर।** वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान के पश्चात मावली स्थित रायजी की बावड़ी और नाथेला तालाब का स्वरूप निखर आया। नाथेला तालाब में गंदगी का अंबार लगा था जिसकी वजह से पानी भी दूषित हो रहा था। शनिवार को अभियान के तहत उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी के नेतृत्व में उपखंड स्तरीय अधिकारियों, स्वयंसेवकों, आमजन का दल तालाब पहुंचा और तालाब की सफाई में जुट गया। देखते ही देखते तालाब की पाल एवं पेटे में पड़े कचरे एवं गंदगी को बाहर निकाल फैंका। इसी प्रकार मावली कस्बे में स्थित ऐतिसाहिक कलात्मक बावड़ी रायजी की बावड़ी भी साफ-सफाई के अभाव में कचरे व गंदगी से अटी पड़ी थी। अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाते हुए उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में बावड़ी की सफाई कर निखार दिया।


कार्यालय ग्राम पंचायत बेड़ास, पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलुम्बर (राज.)

क्रमांक:-ग्रापबे/निविदा/2025-26/15 दिनांक-10.6.2025

**-:ई निविदा सूचना -01 एवं 02/2025-26:-**

ग्राम पंचायत बेडास में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 20.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN N0 1. ZUD2526GSRC00845
2. ZUD2526GSRC00847

| प्रशासक | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत बेडास | ग्राम पंचायत बेडास |
| पं.स. लसाड़िया | पं.स. लसाड़िया |
| जिला-सलुम्बर (राज.) | जिला-सलुम्बर (राज.) |



कार्यालय ग्राम पंचायत विसमा, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प./नरेगा/ निविदा/2025-26/16 दिनांक-14.6.2025

**-:ई निविदा सूचना :-**

ग्राम पंचायत विसमा में महानरेगा व अन्य योजनाओं में वर्ष 2024-25 में करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 16.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN No.ZUD2526GLRC00759

| सरपंच | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत विसमा | ग्राम पंचायत विसमा |
| पं.स. सायरा | पं.स. सायरा |
| जिला- उदयपुर (राज.) | जिला- उदयपुर (राज.) |


प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/155

चूंकि प्रार्थी श्री भेरूलाल, धरावण-। झाड़ोल फलासिया उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष धरावण-। , धरावण-। झाड़ोल फलासिया उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन -पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 19.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

# श्रवण सिंह राव अभियान संभाग प्रभारी मनोनीत

**उदयपुर।** भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम हेतु व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कार्यक्रम प्रवास प्रभारी श्रवण सिंह राव को अभियान का उदयपुर संभाग प्रभारी मनोनीत किया। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष योग जागरूकता अभियान के तहत उदयपुर संभाग के सभी जिलों में योग दिवस पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्रवण सिंह राव इन आयोजनों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी निभाएंगे। भाजपा उदयपुर संभाग मीडिया प्रभारी चंचल अग्रवाल ने बताया कि श्रवण सिंह राव पूर्व में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता,भाजपा जिला महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वो का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं


कार्यालय ग्राम पंचायत रावछ, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- ग्रा.प./नरेगा/निविदा/2025-26/03 दिनांक-14.6.2025

**-:ई निविदा सूचना :-**

ग्राम पंचायत रावछ में महानरेगा व अन्य योजनाओं में वर्ष 2024-25 में करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 16.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN No.ZUD2526GLRC00757

| सरपंच | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत रावछ | ग्राम पंचायत रावछ |
| पं.स. सायरा | पं.स. सायरा |
| जिला-उदयपुर (राज.) | जिला-उदयपुर (राज.) |


प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/136

चूंकि प्रार्थी श्री उदयसिंह, निचला आमड़ा, आमडा उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष निचला आमड़ा,निचला आमडा, आमड़ा उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 20.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**

प्रपत्र संख्या-7 (देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
**कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**
**समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को**

मुकदमा नम्बर : DEV/UDAIPUR/TRUST/2025/72

चूंकि प्रार्थी श्री चुनीलाल खड्डी, ग्राम-गावरिफाला, बंम्बरी धामरी तहसील -झाड़ोल उदयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास

ग्राम विकास कोष -गावरिफाला, ग्राम-गावरिफाला, बंम्बरी धामरी तहसील -झाड़ोल उदयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अत एवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है।

में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो तो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 20.08.2025

**सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर**


कार्यालय ग्राम पंचायत आंजनी, पंचायत समिति लसाड़िया जिला सलुम्बर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.पं.आ/निविदा/2025-26/25 दिनांक-10.6.2025

**-:ई निविदा सूचना -01 एवं 02/2025-26:-**

ग्राम पंचायत आंजनी में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 20.6.2025 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी **sppp.rajasthan.gov.in** व **eproc.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

UBN N0 1. ZUD2526GSRC00843
2. ZUD2526GSRC00844

| प्रशासक | ग्राम विकास अधिकारी |
|---|---|
| ग्राम पंचायत आंजनी | ग्राम पंचायत आंजनी |
| पं.स. लसाड़िया | पं.स. लसाड़िया |
| जिला-सलुम्बर (राज.) | जिला-सलुम्बर (राज.) |